भाग-2 पंचायती राज संस्थाएँ

अध्याय-तीन

पंचायती राज संस्थाओं का विहंगावलोकन

3.1 पृष्ठभूमि

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुडे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पहचान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) के प्रावधानों के अधीन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसे किसी विधि में पंचायतों को अधिकारों एवं शक्तियों के हस्तांतरण हेतु समुचित प्रावधान विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (एम.पी.पी.आर.जी.एस.ए.) द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गयी थी, जो कि जनवरी 1994 से अस्तित्व में आयी और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के रूप में अपनाया गया ।

3.2 पंचायती राज संस्थाओं का वर्गीकरण

पं.रा.सं. तीन स्तरों में, नामतः जिला स्तर पर जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में वर्गीकृत है। वर्तमान में राज्य में 18 जिला पंचायत और 146 जनपद पंचायत एवं 9734 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायतों के लिए पिछला आम चुनाव 2009-10 के दौरान कराया गया ।

2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है, जिसमें से 1.96 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हैं, जो कुल जनसंख्या का 77 प्रतिशत है।

तालिका 3.1: ग्राम पंचायतों का जनसंख्यावार वर्गीकरण

सं.क्रं.	विवरण	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	1,000 से कम	474
2	1,001 से 2,000	7420
3	2,001 से 3,000	1414
4	3,001 से 4,000	287
5	4,000 से अधिक	139
कुल		**9734**

स्रोतः पंचायत निदेशालय द्वारा जनगणना 2001 के अनुसार उपलब्ध कराये गये आँकड़े

3.3 प्रशासकीय व्यवस्था

राज्य प्राधिकार की निगरानी के अधीन नियमों तथा अधिनियमों द्वारा प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करने हेतु सभी पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्र वैधानिक निकाय हैं। राज्य, जिला, खण्ड और ग्राम स्तर पर कार्य संचालन हेतु संगठनात्मक संरचना नीचे दी गयी है:

पंचायती राज संस्थाएं का संगठनात्मक संरचना

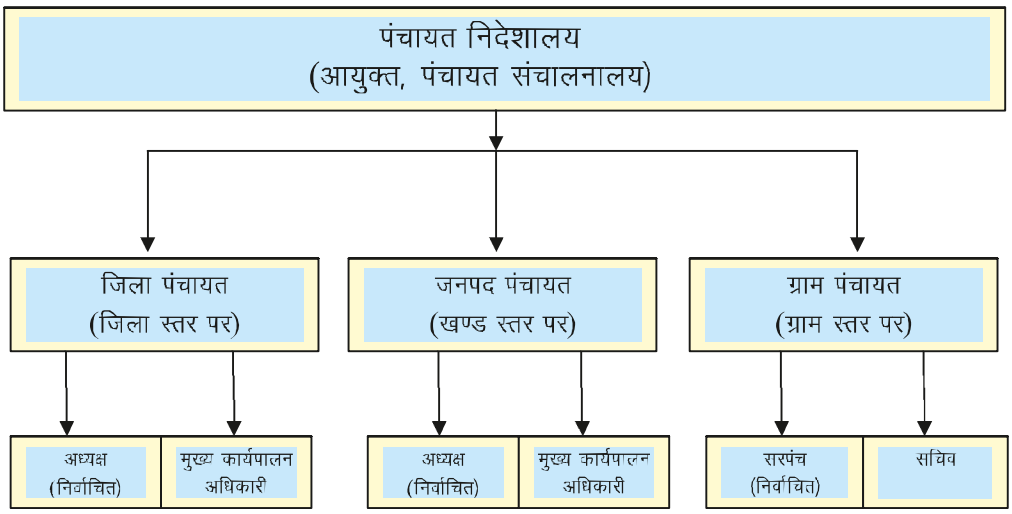

3.4 अधिकार एवं कार्यकलाप

3.4.1 जिला स्तर पर पंचायत का प्रथम स्तर जिला पंचायत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होता है और लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी आदि विभाग उसके सहायक होते हैं।

3.4.2 जिला के योजनाबद्ध विकास और संसाधनों के उपयोग के लिए बजट जिला पंचायत को तैयार करना होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.), जो कि राज्य में नौ हैं और जिसके प्रमुख परियोजना निर्देशक होते हैं, द्वारा वित्तपोषित केन्द्र शासन की योजनाओं एवं राज्य शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन भी जिला पंचायतों द्वारा किया जाता है। जिला के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना; जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के समन्वय, मूल्यांकन और निगरानी करना; केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौपें गये योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना; जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए केन्द्र या राज्य सरकार सें प्राप्त निधियों का निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार विनियोजन करना; संसाधनों की प्राप्ति एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश के अंतर्गत सौपें गये किन्ही अन्य कार्यो को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना, जिला पंचायत का उत्तरदायित्व है।

3.4.3 खण्ड स्तर पर पंचायत का माध्यमिक स्तर जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत का अपना राजस्व स्त्रोत नहीं होता एवं वे जिला पंचायत से प्राप्त होने वाले ब्लॉक अनुदान पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। खण्ड स्तर पर विकास कार्य जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है । ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन,

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, सहकारी कार्य, कुटीर उद्योग, समाज कल्याण, परिवार नियोजन, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना; आग, बाढ़, सुखा, भूकम्प एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दशा में आपातकालिन सहायता प्रदान करना; तथा राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा सौपे गये अन्य किसी भी कार्य को करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना इनका उत्तरदायित्व है।

3.4.4 सबसे निचले स्तर पर पंचायत का अंतिम स्तर ग्राम पंचायत है। सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना, जल संसाधनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव, बिजली एवं ग्रामीण सड़क सम्पर्क, युवा कल्याण को बढ़ावा देना, परिवार कल्याण एवं खेल गतिविधियाँ, समाज कल्याण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना एवं राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कोई कार्य करना ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है।

3.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

राज्य शासन ने पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के लेखाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में निर्देशक/आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) को नियुक्त किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (अक्टुबर 2011) तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) के अधीन कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का लेखापरीक्षण कार्य किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शाक्तियाँ एवं सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर विवेकानुसार टिप्पणी एवं अनुपूरण करने का अधिकार होगा।

सी.ए.जी. द्वारा, पी.आर.आई. मे सुदृढ़ वित्तीय लोक प्रबंधन तथा जवाबदेही के प्रयोजन हेतु, पी.आर.आई. के प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षकों नामतः स्थानीय निधि संपरीक्षा (सांविधिक लेखापरीक्षक) को उपयुक्त तकनीकी दिशानिर्देश एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। टी.जी.एस. के मापदंड नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शाक्तियाँ एवं सेवा की शर्त्तें) अधिनियम 1971 की धारा 23 के अंतर्गत सी.ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 की धारा 152 से 154 में उल्लेखित है, जो निम्न हैः

- स्थानीय निधि संपरीक्षक प्रत्येक मार्च के अंत तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगें।
- डी.एल.एफ.ए. द्वारा पी.आर.आई. की लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित संविधियों तथा सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।
- प्रणाली सुधार पर सलाह देने के लिए डी.एल.एफ.ए. द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएगी।
- डी.एल.एफ.ए. ऐसे प्रपत्र में विवरण भेजेंगें जैसा कि सी.ए.जी. द्वारा सलाह देने एवं निगरानी करने के लिए विहित किया जायेगा।

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तकनीकी दिशानिर्देश देने के क्रम में कुछ इकाईयों की नमूना जाँच करेंगें तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन डी.एल.एफ.ए. को कार्यवाही के अनुसरण के लिए भेजे जायेंगे।
- कोई भी गंभीर अनियमितता, मौद्रिक मूल्य पर ध्यान दिये बिना, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जाएगा।
- डी.एल.एफ.ए. अपने संगठन में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करेंगें।
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा कर्मियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था किया जाएगा।

इस संबंध में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा में टी.जी.एस. प्रभावकारिता एवं लेखापरीक्षा पद्धति पर डी.एल.एफ.ए. के कर्मचारी वर्ग के लिए दो सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

3.5.1 लेखापरीक्षा की लंबित कंडिकाएं

टी.जी.एस. व्यवस्था के अनुसार महालेखाकार के लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण डी.एल.एफ.ए. द्वारा उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा कि वह अपने स्वयं के प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए करते हैं।

मार्च 2014 की स्थिति में, पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि से संबंधित, डी.एल.एफ.ए. के निरीक्षण प्रतिवेदनों में 141173 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लंबित थी। महालेखाकार के निरिक्षण प्रतिवेदनों में मार्च 2014 की स्थिति में 698 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लंबित थी। लंबित आपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 3.2: डी.एल.एफ.ए. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स. क्रं.	वित्तीय वर्ष	पंचायती राज संस्थाएं			
		लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान ली गयी आपत्ति	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित रहे आपत्तियों की संख्या
1.	2008-09	84222	15437	107	99552
2.	2009-10	99552	12514	65	112001
3.	2010-11	115493	10359	175	125677
4.	2011-12	125677	9437	203	134947
5.	2012-13	134947	6318	92	141173

स्रोतः संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा

तालिका 3.3: महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	पंचायती राज संस्थाएं			
		वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान ली गयी आपत्ति	निराकृत आपत्तियों की संख्या (मार्च 2014 तक)	लंबित आपत्तियों की संख्या (मार्च 2014 तक)
1.	2008-09	11	74	22	52
2.	2009-10	08	52	10	42
3.	2010-11	15	111	08	103
4.	2011-12	09	84	04	80
5.	2012-13	71	434	13	421
लंबित आपत्तियों की कुल संख्या (मार्च 2014 तक)					698

3.6 योजनाओं का विहंगावलोकन

3.6.1 श्रममूलक रोजगार योजनाएं

(i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक वितीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम करने को तैयार हैं, को सौ दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदाय करता है ।

प्रथम चरण में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू (फरवरी 2006) की गयी थी, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 13 (तत्कालिन 11) जिले शामिल थे। वर्तमान में यह योजना समूचे राज्य में क्रियान्वित हो रही हैं ।

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के लिए रोजगार सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रो में अधोसंरचना का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाना है। क्रियान्वित कार्यो की उपयोगिता एवं गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गयी है।

(ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जे.जी.एस.वाई.)- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं उनके आय में वृद्धि करना है। इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है। एन.आर.एल.एम. का उद्देश्य समग्र सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संस्थाओं का गठन, प्रशिक्षण और कौशल विकास, वित्तिय समावेश, अधोसंरचना सुविधाएं प्रदान करना आदि शामिल है। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित संगठनात्मक संरचना स्थापित की जा रही है।

3.6.2 अन्य योजनाएं

(i) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)-योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण आवासहीन परिवारों के लिए किफायती आवास एवं मूल आवश्यकताओं सहित एक पूर्ण कार्यात्मक आवासीय इकाई की सुविधा प्रदान कराना है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत वित्त पोषित है। योजनांतर्गत

वित्तीय सहायता सीधे हितग्राहियों को उपलब्ध करायी जाती है, जिससे कि वे अपने स्वविवेकानुसार आवास निर्माण कर सके। इस योजना में दूसरे योजनाओं जैसे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के साथ तालमेल बनाना भी परिलक्षित है।

(ii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)-भारत सरकार द्वारा यह योजना क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और राज्य के 15 पिछड़े जिलों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में योगदान के लिए प्रारम्भ की गयी थी। योजना पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय जरूरतों के अनुसार परियोजना तैयार करने और अधोसंरचना कार्य के क्रियान्वयन करने के लिए लागू किया जा रहा है।

(iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)-राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का गठन किया गया है, जो एक पंजीकृत संस्था है। योजना में जिला एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण परिकल्पित है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट में कम से कम एक बारहमासी सड़क प्रदान किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत उन बसाहटों को प्राथमिकता दिया जाना है, जो किसी प्रकार से जुड़े हुए नही है।

3.7 राजस्व के स्त्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के मुख्यतः दो स्त्रोत हैं (i) शासकीय अनुदान और (ii) स्वयं का राजस्व। शासकीय अनुदानों में (अ) राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसा पर जारी निधि, (ब) विभिन्न केन्द्र प्रायोजित/केन्द्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए हस्तांतरित भारत सरकार और राज्य का अंश। पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व स्त्रोतों में स्वयं के कर राजस्व और गैर-कर राजस्व सम्मिलित है।

3.8 पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियां एवं व्यय

योजनाओं का केन्द्रांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान सहित, राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवंटित निधि (राज्य का कर राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि) का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 3.4: निधियों के आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बजटीय आवंटन				व्यय		
	वर्ष	आयोजना	आयोजनेत्तर	कुल	आयोजना	आयोजनेत्तर	कुल
1.	2008-09	483.55	402.50	886.05	423.52	399.72	823.24
2.	2009-10	379.59	329.63	709.22	333.87	336.43	670.30
3.	2010-11	674.55	432.27	1106.82	655.49	347.96	1003.45
4.	2011-12	806.15	647.46	1453.61	780.96	617.28	1398.24
5.	2012-13	1123.04	867.97	1991.01	995.70	782.49	1778.19
	कुल	3466.88	2679.83	6146.71	3189.54	2483.88	5673.42

स्त्रोतः- पंचायत संचनालय, रायपुर द्वारा उपलब्ध

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल आवंटित राशि ₹ 6147 करोड़ के विरूद्ध पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राशि ₹ 5673 करोड़ का व्यय किया गया। पंचायती राज संचालनालय स्तर पर सभी पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियां एवं व्यय के विवरण संधारित नहीं थे। अतः अधिनस्थ पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर प्रभावी जाँच के लिए कोई प्रणाली नहीं बनायी गयी थी ।

3.9 अनुदान का कम हस्तान्तरण

प्रथम राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) के अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) लाया गया। आगे, प्रथम वित्त आयोग द्वारा अवधि 2007-12 के लिए अनुशंसित 6.62 प्रतिशत के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 4.79 प्रतिशत हिस्सेदारी सौंपने हेतु स्वीकृति दी गयी। स्थानीय निकायों हेतु द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का आठ प्रतिशत हिस्सा हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गयी थी, जिसमें कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए हिस्सेदारी 6.15 प्रतिशत अनुशंसित थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य बजट के माध्यम से 2008-09 से 2012-13 के दौरान जारी की गयी अनुदान की स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका 3.5: कर राजस्व एवं पंचायती राज संस्थाओं हेतु निधि के हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की राशि	स्वयं कर राजस्व से जारी की जाने वाली हिस्सेदारी की राशि		पं.रा.सं. को स्वयं कर राजस्व (एस.एफ.सी अनुदानों) से जारी की गयी हिस्सेदारी की राशि	कमी (प्रतिशत सहित)
		निर्धारित प्रतिशत	राशि		
1	2	3	4	5	6
2008-09	5599.21	4.79	268.76	236.50	32.26 (12)
2009-10	6106.29	4.79	293.10	223.13	69.97 (24)
2010-11	7874.62	4.79	377.98	270.00	107.98 (29)
2011-12	9269.29	4.79	444.93	330.00	114.93 (26)
2012-13	10829.46	6.15	666.01	666.25	(-)0.24
कुल	**28957.70**	--	**2050.78**	**1725.88**	**324.90**

स्रोतः- विभाग द्वारा उपलब्ध

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एस.एफ.सी. के अनुशंसा के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व से पंचायती राज संस्थाओं हेतु निधि का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राशि ₹ 324.90 करोड़ का कम हस्तान्तरण हुआ था। विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं हेतु निधियों के कम हस्तान्तरण के लिए कारण प्रस्तुत (मई 2014) नहीं किया गया था।

3.10 निष्कर्ष

अत्यधिक संख्या में डी.एल.एफ.ए. की आपत्तियाँ निराकरण हेतु लंबित थी। अवधि 2008-09 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व से निधियों का कम हस्तान्तरण हुआ था। वर्ष 2012-13 में निधियों का हस्तान्तरण द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा के अनुसार किया गया था।